

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर।

सेवा में,

MANAGER
CITY INTERNATIONAL SCHOOL
PILKICHHA KHUTHAN, JAUNPUR

पत्रांक: /मान्यता/ 14062-66

/2023-24

दिनांक : 6.12.2023

विषय:-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2010 के नियम-15 के उप नियम (4) के अधीन आनलाईन प्राइमरी स्तर अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिये स्थाई मान्यता प्रमाण-पत्र का प्रेषण।
महोदय/महोदया,

उ0प्र0 शासनादेश संख्या-89/अरसठ-3-2018-2041/2018 शिक्षा अनुभाग-3 दिनांक-11 जनवरी 2019 व शासनादेश संख्या-196/अडसठ-3-2020-2041/2018 शिक्षा अनुभाग-3 दिनांक-29 जून 2020 एवं आनलाईन मान्यता संबन्धित शासनादेश संख्या-64/ अडसठ-3-2021-840 दिनांक-11 फरवरी 2021 तथा शासनादेश संख्या-575/68-3-2018-2041/2023 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 26 सितम्बर, 2023 अनुक्रम में गठित समिति के निर्णय दिनांक-20.11.2023 के अनुक्रम में जाँच अधिकारी/सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी की आख्या/संस्तुति तथा आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निर्णय के प्रतिनिर्देश नियमावली में उल्लिखित प्राविद्यानो के दृष्टिगत मान्यता MANAGER CITY INTERNATIONAL SCHOOL, PILKICHHA KHUTHAN, JAUNPUR को दिनांक 21.11.2023 से स्थायी (PERMANENTLY) प्री प्राइमरी से प्राइमरी स्तर कक्षा 05 तक की (अंग्रेजी माध्यम) से मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है।

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-05 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2010 (उपाबन्ध-2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4- पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबंधों का पालन करेगा, विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
 - प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड का मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम् अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम् अर्हतायें नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम् अर्हतायें अर्जित करेंगे।
 - अध्यापको/शिक्षको की शैक्षिक योग्यता वही होगी जैसा कि उ0प्र0 बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली-1981 (अद्यतन संशोधित) में निहित है।
 - अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा।
- 9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलायी जायेगी।
- 10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
- 11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
- 13- विद्यालय के लेखाओं को किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
- 14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक X है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के शतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाय।
- 16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
- 17- संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
- 18- मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत कोई पत्रजात/अभिलेख किसी भी स्तर से कूट रचित अथवा त्रुटिपूर्ण, फर्जी एवं असत्य पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निर्गत मान्यता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण विधिक उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।

अतः आपको मान्यता प्रमाण पत्र आनलाईन के माध्यम से प्रेषित किया जा चुका है। तथा उक्त प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्नकर प्रेषित है।

संलग्नक-उक्तानुसार।

भवदीय

डॉ०(गोरख नाथ पटेल)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर।

पृ०सं०:/मान्यता/

/2023-2024

उसी तिथि को।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), पंचम मण्डल, वाराणसी।
3. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र जौनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप विद्यालय का पुनः निरीक्षण कर लें और पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो ले कि विद्यालय भवन, नेशनल विल्डिंग कोड के मानक के अनुसार निर्मित है, और पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो ले कि विद्यालय भवन में स्थापित अग्निशमन यंत्र क्रियाशील तथा शासनादेश द्वारा निर्धारित मानको की पूर्ति करता है, अन्यथा कि स्थिति में एक सप्ताह के अन्दर अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायें।
4. कार्यालय प्रति।

डॉ०(गोरख नाथ पटेल)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर।

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर।

सेवा में,

MANAGER
CITY INTERNATIONAL SCHOOL
PILKICHA KHUTHAN, JAUNPUR

पत्रांक: /मान्यता/ 14281-85 /2023-24 दिनांक: 12-12-2023

विषय:-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2010 के नियम-15 के उप नियम (4) के अधीन आनलाईन प्राइमरी स्तर अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिये स्थाई मान्यता प्रमाण-पत्र का प्रेषण।

महोदय/महोदय,

उ0प्र0 शासनादेश संख्या-89/अरसठ-3-2018-2041/2018 शिक्षा अनुभाग-3 दिनांक-11 जनवरी 2019 व शासनादेश संख्या-196/अडसठ-3-2020-2041/2018 शिक्षा अनुभाग-3 दिनांक-29 जून 2020 एवं आनलाईन मान्यता संबन्धित शासनादेश संख्या-64/ अडसठ-3-2021-840 दिनांक-11 फरवरी 2021 तथा शासनादेश संख्या-575/68-3-2018-2041/2023 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 26 सितम्बर, 2023 अनुक्रम में गठित समिति के निर्णय दिनांक-01.12.2023 के अनुक्रम में जॉच अधिकारी/संबन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी की आख्या/संस्तुति तथा आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निर्णय के प्रतिनिर्देश नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत मान्यता MANAGER CITY INTERNATIONAL SCHOOL, PILKICHA KHUTHAN, JAUNPUR को दिनांक 12.12.2023 से स्थायी (PERMANENTLY) कक्षा 06 से 08 तक की (अंग्रेजी माध्यम) से मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है।

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-08 के पश्चात् मान्यता/संबन्धन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2010 (उपाबन्ध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4- पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबन्धों का पालन करेगा, विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
 - प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड का मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम् अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम् अर्हतायें नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम् अर्हतायें अर्जित करेंगे।
 - अध्यापको/शिक्षको की शैक्षिक योग्यता वही होगी जैसा कि उ0प्र0 बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली-1981 (अद्यतन संशोधित) में निहित है।
 - अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा।
- 9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जायेगी।
- 10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
- 11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
- 13- विद्यालय के लेखाओं को किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
- 14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के शतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाय।
- 16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
- 17- संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
- 18- मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत कोई पत्रजात/अभिलेख किसी भी स्तर से कूट रचित अथवा त्रुटिपूर्ण, फर्जी एवं असत्य पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निर्गत् मान्यता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण विधिक उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।

अतः आपको मान्यता प्रमाण पत्र आनलाईन के माध्यम से प्रेषित किया जा चुका है। तथा उक्त प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्नकर प्रेषित है।

संलग्नक-उक्तानुसार।

भारतीय
डॉ०(गोरख नाथ पटेल)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर।

पृ०सं०: /मान्यता/

/2023-2024 उसी तिथि को।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), पंचम मण्डल, वाराणसी।
3. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र जौनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप विद्यालय का पुनः निरीक्षण कर लें और पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो ले कि विद्यालय भवन, नेशनल विल्डिंग कोड के मानक के अनुसार निर्मित है, और पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो ले कि विद्यालय भवन में स्थापित अग्निशमन यंत्र क्रियाशील तथा शासनादेश द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति करता है, अन्यथा कि स्थिति में एक सप्ताह के अन्दर अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायें।
4. कार्यालय प्रति।

डॉ०(गोरख नाथ पटेल)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर।